कार्यालय कलेक्टर (भू – अभिलेख शाखा) जिला रायगढ (छ0ग0)

प्रदर्श स

प्रमाण पत्र

मेसर्स एन.टी.पी.सी तलाईपाली घरघोडा को तलाईपाली कोल माईनिंग रेल लाईन परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन निमार्ण कार्य हेतु रायगढ जिला मे रायगढ वनमडल के अनुविभाग रायगढ तहसील रायगढ के ग्राम सम्बलपुरी, टारपाली, एवं रेगडा मे खसरा नंबर 225/1, 9/1, 1. 240, 196, 148, रकबा कमशः 0.304, 0.085, 0.551, 0.789, 0.339, 0.684 एवं वन कक्ष कमांक 897 रकबा 1.349 हे. योग 4.161 हे. तथा अनुविभाग घरघोडा तहसील तमनार के ग्राम बासनपाली , कांटाझरिया, बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, व बनाई एवं तहसील घरघोडा के ग्राम रायकेरा मे कमशःखसरा नंबर 333/1, 9, 2, 250/1, 155/1, 144/1, 750/1 व 661/1 रकबा कमशः 0.21, 0.14, 0.06, 0.768, 1.728, 0.2, 0.865, व 1.719 हे.योग रकबा 5.690 हे. अर्थात कुल प्रभावित रकबा 9.851 हे वन भूमि के प्रकरण मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1 प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 मे नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित वन भूमि 1.394 हे. एवं 8.502 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सम्बलपुरी , टारपाली व रेगडा तहसील रायगढ तथा बासनपाली , कांटाझरिया ,बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, बनाई तहसील तमनार तथा ग्राम रायकेरा तहसील घरघोडा मे स्थित है, मे तदनुसार यह कार्यर्यवाही पूर्ण की गई है।

उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रस्तावित वन क्षेत्र मे प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की जानकारी ग्रामवार निम्नानुसार है :–

अनुभाग रायगढ

कमांक	तहसील	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)	रिमार्क
1	रायगढ	सम्बलपुरी	निरंक	निरंक	
2		टारपाली	निरंक	निरंक	
3		रेगडा	निरंक	निरंक	
4		वन कक्ष क. 897	निरंक	निरंक	
		अनुभाग घरघोडा			
5	तमनार	बासनपाली	निरंक	निरंक	
6		कांटाझरिया	निरंक	निरंक	
7		बरकसपाली	निरंक	निरंक	
8		डोलेसरा	निरंक	निरंक	
9		कसडोल	निरंक	निरंक	
10		बनाई	लाल कुमार आ. शनिराम	0.145	उक्त दोनो हक पत्र धारक को एनटीपीसी तलाईपाली के द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान किया
			लाल साय आ. शनिराम	0.157	

P-2/5

					गया है।
11	घरघोडा	रायकेरा	निरंक	निरंक	
महायोग		10	02	0.302	

127

1— लीनियर प्रकरण होने के कारण ग्राम सभा की आवश्यक्ता नही।

2 — यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधिन वन भूमि पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3— यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष— जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ (छ.ग.)

1-3/5